

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आइ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 48/2016

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

देदाराम पुत्र शिवजी जाति जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. केहरा पुत्र मगा के कायम मुकाम 1/1 भारूराम पुत्र केहराराम 1/2 जोगाराम पुत्र केहराराम 2. मुलाराम पुत्र आसू 3. उमाराम पुत्र आसू 4. लाखाराम पुत्र आसू 5. गुमनीदेवी पत्नी आसू 6. रावताराम पुत्र डालू 7. खेमाराम पुत्र डालू 8. देवाराम पुत्र डालू 9. पारुदेवी पत्नी डालू 10. लिछमणा पुत्र भेरा 11. दुर्गा पुत्र भेरा 12. दमा पुत्र शिवजी 13. राउ पुत्र शिवजी 14. ओमप्रकाश पुत्र कुम्भाराम 15. दूगीदेवी पत्नी कुम्भाराम जातियान जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 16. तहसीलदार सिणधरी
--	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88.53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 16 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय



दिनांक— 10.10.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा— वणाकों का बेरा पटवार मण्डल एड सिणधरी के खसरा संख्या 36 रकबा 8.7453 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र,

सहायक कलक्टर

अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- वणाकों का बेरा पटवार मण्डल एड सिणधरी के खसरा संख्या 36 रकबा 8.7453 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	देदाराम पुत्र श्री शिवजीराम कौम जाट निवासी पोटलियों की ढाणी खातेदार	वणाकों का बेरा	36	0.4373	बा.दो.	0.03	हरा
2	भारुराम 2/19 जोगाराम 2/19 पि.केहराराम, दुर्गाराम 2/19 लिछमणाराम 2/19 पि. भेराराम, उमाराम 1/19 मूलाराम 1/19 लाखाराम 1/19 पि. आसूराम गुमनीदेवी पत्नि आसूराम 1/19 ओमप्रकाश पुत्र श्री कुम्भाराम 1/38 टूगीदेवी पत्नी श्री कुम्भाराम 1/38 दमाराम 1/19 राउराम 1/19 पि. शिवजीराम खेमाराम 1/19 देवाराम 1/19 रावताराम 1/19 पि. डालूराम पारूदेवी पत्नी डालूराम 1/19 जातियान जाट सा. देह खातेदार। रहन जोगाराम भारुराम का हि. आर.एम.जी.बी. होडू	वणाकों का बेरा	36	8.3080	बा.दो.	0.49	गुलाबी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.
उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
देदाराम पुत्र शिवजी जाति जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		<ol style="list-style-type: none"> केहरा पुत्र मगा के कायम मुकाम 1/1 भारूराम पुत्र केहराराम 1/2 जोगाराम पुत्र केहराराम मुलाराम पुत्र आसू उमाराम पुत्र आसू लाखाराम पुत्र आसू गुमनीदेवी पत्नी आसू रावताराम पुत्र डालू खेमाराम पुत्र डालू देवाराम पुत्र डालू पारूदेवी पत्नी डालू लिछमणा पुत्र भेरा दुर्गा पुत्र भेरा दमा पुत्र शिवजी राउ पुत्र शिवजी ओमप्रकाश पुत्र कुम्भाराम टूगीदेवी पत्नी कुम्भाराम जातियान जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:— 88,53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :- 48/2016
निर्णय दिनांक :- 10.10.2024

वादीगण की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता, राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.10.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 10.10.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह डिक्री आज तारीख 10.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अजी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़